संलग्नक – 6

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

[संख्या–22

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2015 ई० (ज्येष्ठ 09, 1937 शक सम्वत्)

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	351–356	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	303–311	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	177–184	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

Scanned by CamScanner

संलग्नक – 6

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला

सार्वजनिक सूचना

07 नवम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 359/सॉलिड वेस्ट–उ0/2014–2015–नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती–ढालवाला टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा अवशेष (प्रबन्धन एवं व्यवहार) नियमावली–2011 के नियम 4 (बी) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) सीमान्तर्गत प्लास्टिक अवशेष (कचरा) प्रबन्धन एवं व्यवहार आदर्श उपविधि–2014 बनायी जाती हैं जो जनसामन्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

प्लास्टिक अवशेष (कचरा) प्रबन्धन एवं व्यवहार आदर्श उप विधि–2014

1– उपनियम

(1) संक्षिप्त आगम एवं उत्पत्ति – पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा अवशेष (प्रबन्धन एवं व्यवहार)नियमावली–2011 के नियम 4 (बी) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) इस एक्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी के तौर पर प्लास्टिक कचरे का प्रयोग, एकत्रीकरण, छटाई, उठान, निस्तारण व पुर्नचक्रण के लिए उपयुक्त विधायी शक्तियों का निर्वहन करेगी। उपयुक्त के अन्तर्गत नियमावली निम्न प्रकार होगी।

2– परिभाषा :

(1) **"कैरी बैग"** का अर्थ प्लास्टिक की थैलियां जिन्हें उपयोग सामग्री के लिए प्रयोग में लाया जाता हो जिसमें स्वतः ले जाने योग्य लक्षण हों सहित

(2) **"कलरेन्टस्"** वे रंगने वाले पदार्थ जो भारतीय प्रामणिकता आई0एस0 : 9833:1981 के अनुसार निर्धारित हों।

(3) **"एकत्रीकरण"** का अर्थ प्लास्टिक कचरे को स्थायी एकत्रीकरण स्थल से अथवा अन्य किसी स्थान से उठाना व हटाना

Scanned by CamScanner

संलग्नक-6

(4) "एकत्रीकरण स्थल" का अर्थ वह निर्धारित स्थान, शेड, किशोक या ढांचा जो म्यूनिसिपल या सरकारी जमीन,अथवा सार्वजनिक स्थान जहां प्लास्टिक कचरा प्राप्त करना व हटाना शामिल है।

(5) "सामग्री" का अर्थ शाक सब्जियां, फल, दवाईयां, खाद्य सामग्री तथा इसी प्रकार की वस्तुएं साथ ही अन्य किसी प्रकार की वस्तुएं।

(6) "कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक " का अर्थ यह है कि प्लास्टिक जो जैविक प्रक्रिया से कम्पोस्टिंग के दौरान CO_2 (कार्बन डाईआक्साइड) पानी, जैविक पदार्थो तथा वायोमास के सर्म्पक के दौरान अन्य सात कम्पोस्ट योग्य पदार्थो के भांति अनुकूल रहता है तथा कोई दृश्यमान अन्तर दर्शाने वाले तथा रसायनिक अवशेष नही छोडता है।

(7) "पृथकीकरण" का अर्थ यह है कि पदार्थो को छोटे–छोटे हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया।

(8) "पर्यावरण " का अर्थ उन भौतिक व परिस्थितिकाय से सम्बन्धित हो जो जीवों के जीवन के विकास को प्रभावित करता है

(9) "उत्पादक की विस्तारित जिम्मेदारी"(EPR) का अर्थ है कि प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय प्लास्टिक थैलियों की पैकिंग सामग्री के उत्पादक या निर्माता की वह ज़िम्मेदारी जिसके अन्तर्गत निर्मित प्लास्टिक सामग्री के समाप्त होने तक सामग्री का पर्यावरणीय प्रबन्धक सुनिश्चित हो। यह जिम्मेदारी उन सभी निर्माताओं पर भी लागू होती है जो इस प्रकार की पैकिंग सामग्री का उपयोग करते हैं।

(10) "खाद्य सामग्री" का अर्थ वह सामग्री जो द्रव्य ठोस व ठोस जैसी रूपों में तुरन्त खाने योग्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या बने हुए भोजन के रूप मे हो।

(11) "निर्माता" का अर्थ है वह व्यक्ति या संस्था जो प्लास्टिक कैरी बैग,बहुस्तरीय पैकिंग सामग्री, पाऊच तथा या इसी प्रकार की सामग्री का पैकिंग के लिए उत्पादन करने में संलग्न हों।

(12) "माइक्रोन" का अर्थ है प्लास्टिक फिल्म के मापन की इकाई जो एक मिलीमीटर के दशवें हिस्से के बराबर हो।

(13) "बहुस्तरीय प्लास्टिक" का अर्थ है वह सामग्री जो पैकिंग हेतु कई स्तरों जैसे. कागज, गत्ते, पालीमर सामग्री या अल्युनियम फाइल की परतयुक्त या सम्मिलित रूप में हो।

(14) "पिगमेन्ट" का अर्थ है एक रंगयुक्त पदार्थ अथवा तत्व है।

Scanned by CamScanner

(15) **"प्लास्टिक "** का अर्थ वह पदार्थ जिसमें उच्च पालीमर के तत्व विद्यमान हों तथा जो उसमें प्रसंस्करण प्रक्रिया में अन्तिम सामग्री के रूप में अपने स्वाभाविक रूप में रहे।

(16) **"प्लास्टिक कचरा "** का अर्थ कोई प्लास्टिक कचरा जो कैरी बैग, पाउच या बहुस्तरीय पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाए व जिसे उपयोग के उपरान्त अथवा उनकी जीवनकाल के उपरान्त फेंक दिया जाए।

(17) **"प्रसंस्करण"** का अर्थ कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें प्लास्टिक कचरे को उपचारित कर पुर्न उपयोग हेतु बनाया जा सके।

(18) **"पुनर्चक्रीकरण"** का अर्थ पृथकीकरण अजैविक प्लास्टिक कचरे को परिवर्तन प्रक्रिया के आधार पर नये उत्पाद के कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाए, जो अपने मौलिक रूप मे हो अथवा नही।

(19) **"पुनर्चक्रीकृत बैग"** का अर्थ वह बैग जो उपयोग किये गये पालीमर या पूर्ववत प्रसंस्कृित प्लास्टिक से बना हो।

(20) **"पृथकीकरण "** का अर्थ वह म्यूनिसिपल ठोस कचरा जो जैविक व अजैविक कचरे, खतरनाक चिकित्सकीय, सूक्ष्म कचरा, निर्माण व तोडने से निकलने वाले कचरे, बाग व बगीचों का कचरा, तथा सभी तरह के कचरे।

(21) **"ढुलान"** का अर्थ म्यूनिसिपल कचरे का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।

(22) **"वर्जिन प्लास्टिक"** का अर्थ वह प्लास्टिक जो पूर्व में उपयोग मे नही लाई गयी हो अथवा किसी कचरे या अवशेष के साथ मिलाया न गया हो।

(23) **"अवशिष्ठ प्रबन्धन"** का अर्थ वैज्ञानिक आधार पर कम करना, दुबारा उपयोग, पुनर्चक्रीयण, कम्पोस्टिंग या प्लास्टिक कचरे का निस्तारण।

(24) **"वेस्ट पिकर"** का अर्थ उन लोगों से है जो अकेले या समुदाय में रहकर प्लास्टिक अवशिष्ठ का एकत्रीकरण करते हैं।

3— **कैरी बैग तथा छोटे पाऊच आदि के स्टाक, वितरण, विक्रय हेतु निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक :**

(a) कैरी बैग प्राकृतिक रंग (रंग रहित) जिसमें कोई रंग तत्व न हो या भारतीय प्रमाणिकता : आईएस : 9833:1981 के अनुसार वैधानिक रंग तत्वां द्वारा निर्मित हो।

Scanned by CamScanner

संलग्नक – 6

(b) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे कैरी बैग जो पुर्नचक्रित प्लास्टिक या कम्पोस्ट किये जाने वाले प्लास्टिक से बने हों, को खाद्य पदार्थो के स्टोर लाने ले जाने, विवरण या पैकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाए।

(ब) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी कैरी बैग का उत्पादन, स्टोर वितरण या विक्री नही किया जा सकता है। जो 40 माइक्रोन की मोटाई से कम हो या वर्जिन पुनर्चक्रीकरण या कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से न बना हो।

(क) कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक वह जो भारतीय प्रमाणिकता आई0एस0 / आई0एस0ओ0 17088: जो समय–समय पर संशोधन के आधार पर कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक के लिए निर्धारित किये गये हैं।

4– **प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन निम्नानुसार हो :**

(a) प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रणीयण, पुनः प्राप्त करना, निस्तारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों, प्रावधानों व प्रमाणिकता के अनुसार किया जाना होगा।

(b) नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) कचरा प्रबन्धन के संचालन तथा समन्वयन के लिए निम्न सम्बद्व गतिविधियां संचालित करेगें :

(i) प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित एकत्रीकरण, स्टोर, पृथकीकरण, ढुलान, प्रसंस्करण, तथा निस्तारण।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रसंस्करण के दौरान पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि यदि सम्भव हो तो प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण केन्द्र के निर्माण में निर्माता को भागीदार बनाना।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण करने वाली संस्थाओं के साथ निरन्तरता स्थापित करना।

(v) जागृति कार्यक्रमों से इससे जुडे सभी सम्बद्व इकाईयों को उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान बढाना।

(vi) कचरा प्रबन्धन में जुडी सभी संस्थाओं या समूहों (कूडा बीनने वालों सहित) को जोडना।

(vii) **यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाना।**

(viii) जबकि एकत्रीकरण व्यवस्था की जिम्मेदारी म्यूनिसपेलिटी की है तथा इस उद्देश्य के लिए वह प्लास्टिक कैरी बैग, बहु स्तरीय प्लास्टिक पाऊच या थैलियां, पलास्टिक बोतलें, प्लास्टिक तिरपाल, शीतल पेय वस्तुए आदि के

Scanned by CamScanner

संलग्नक – 6

निर्माताओं या ब्रांड मालिक जो इनका उपयोग करते हैं की सहायता ले सकती है।

(i) यह म्यूनिस्पेलिटी प्लास्टिक कचरे के विसंक्रमण के लिए श्रीनगर विसंक्रमण व परतीकरण इकाई जो उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवेलपमेन्ट बोर्ड द्वारा संचलित है तथा गढवाल रेंज के शहरी स्थानिक संस्थाओं के विकास के लिए है तथा प्लास्टिक प्रसंस्करण व पुनर्चक्रणीय इकाई काठगोदाम जो झील विकास प्रधिकरण नैनीताल द्वारा कुमांऊ क्षेत्र के शहरी स्थानिक संस्थाओं हेतु चलाई जा रही है। के साथ समन्वय करेगी।

5– **विपणन या चिन्हीकरण हेतु प्रयास :**

(a) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग का बहुस्तरीय पाऊच या थैली में निम्न सूचना अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में प्रिंट करना आवश्यक होगा।

(i) निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संस्था तथा कैरी बैग की स्थिति में उसकी मोटाई।

(ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक पाऊच या थैली में निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या।

(iii) सभी पुनर्चक्रीकृत कैरी बैग में " पुनर्चक्रीकृत" लिखा हुआ या चिन्हित हो जो भारतीय प्रामाणिकता : आई0एस0: 14534:1998. के अनुसार निर्मित हो।

(iv) सभी वे कैरी बैग जो कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक हों में "कम्पोस्ट योग्य" लिखा हुआ या चिन्हित हो तथा भारतीय प्रामाणिकता के अनुसार निर्मित हो।

(v) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय पाऊच या थैलियां जो उनके द्वारा बेचे जाएं, में नियमानुसार चिन्हित हों।

6– इसके अतिरिक्त कोई भी कैरी बैग खुदरा व्यापारियों द्वारा क्रेतओं को निःशुल्क उपलब्ध नही होना चाहिए। कैरी बैग का न्यूनतम मूल्य कैरी बैग की गुणवत्ता व आकार के अनुसार हों जो उसके निर्माण सामग्री तथा कचरा प्रबन्धन की लागत भी शामिल हो। जिससे प्लास्टिक कचरा संवर्धन में कमी करने को बढावा दिया जा सके। कैरी बैग की कीमत जो क्रेताओं से ली जाए ` 1/– से कम न हो।

7– इसके अतिरिक्त म्यूनिसपेलिटी समय–समय पर जब भी आवश्यकता हो जाँच कर सकेगी।

8– यू0पी0 प्लास्टिक तथा अन्य अजैविक कूडे (उपयोग का विधान व निस्तारण) एक्ट 2000 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा फेंके गये अजैविक बैग या डिब्बों के द्वारा निम्न स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं :

Scanned by CamScanner

संलग्नक -6

(i) नालियों व सीवर लाइन व्यवस्था में व्यवधान पैदा होना

(ii) नालियों व सीवर के उदभवों की निरन्तरता व निस्तारण व उपचार में व्यवधान उत्पन्न होना।

(iii) जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक व लोक कन्टक का कारण हो सकता है।

(iv) म्यूनिसपेलिटी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय सौन्दृय के लिए खतरा या नुकसान का कारण बन सकता है।

(v) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय पाऊच या थैलियां जो उनके द्वारा बेचे जाएं, में नियमानुसार चिन्हित हों।

उक्त सभी खतरों के लिए एक्ट नियमावली के प्रावधान संख्या 8 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। उसी के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

यह उप–नियमावली नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के मा0 नगर पालिका बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक दिनांक 22–09–2014 को प्रस्ताव संख्या– 4 के द्वारा पारित की गयी।

शिवमूर्ति कण्डवाल,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
मुनिकीरेती–ढालवाला,
(टिहरी गढ़वाल)।

बी0 पी0 भट्ट,
नगर पालिका परिषद्,
मुनिकीरेती–ढालवाला,
(टिहरी गढ़वाल)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/263–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

Scanned by CamScanner